Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

1. मंजु कंवर पत्नि मनोहरदास वगैरह जाति चारण निवासी सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर बनाम भैंरूदान वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 62/2025 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.04.2025	आज यह प्रार्थना पत्र मंजु कंवर वगैरह ने जरिये श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 276/208 रकबा 18.7490 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 09.06.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
14.5.2025	आज यह पत्रावली प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र अधिवक्ता बाबूलाल वर्मा द्वारा वकालतनामा मय प्रा.पत्र पिछो करने व पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रा.पत्र शामिल पत्रावली हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र रा.बा.नामा के आधार पर पिछोवल में खारिज किया जाता है। पत्रावली वाकवतमील प्रति [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:21 IST
Reason: SelfAttested